जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक-28.04.2025

थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत गौकशी की घटना में संलिप्त 25000-25000 रुपये के 02 ईनामी गौ-तस्कर को पुलिस मुठभेड के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार व 02 अन्य गौ तस्कर गिरफ्तार,कब्जे से अवैध 02 तमंचा मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर व पशु कटान के उपकरण बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 26.04.2025 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ब्रह्मखेड़ा के जंगल में कुछ गौवंश के अवशेष पडे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। जिसके संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार गौकशी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस को ग्राम ब्रह्मखेड़ा के जंगल में गौकशी करने वाले गौ तस्कर के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई कि खन्द्रावली ठेके वाली नहर पुलिया से शामली की तरफ फिर से गौकशी की घटना कारित करने की फिराक में खडे है। सूचना पर थाना कांधला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गौकशी की घटना में संलिप्त 25000-25000 रुपये के ईनामी गौ-तस्कर तौशीफ व शौएब को पुलिस मुठभेड के दौरान आत्मरक्षार्थ की गयी फायरिंग में घायल/गिरफ्तार व 02 अन्य गौ तस्कर समीर व जीतू को बडी नगर पुलिया से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। घायलों को उपचार हेतु सीएचसी कांधला भेजा गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध 02 तमंचा मय 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व पशु कटान के उपकरण(01 कुल्हाडी, 02 दाब, 03 छुरे, रस्सी व लकड़ी का गुटका) व काली पिन्नी बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगणः-

1.तौसीफ पुत्र अरशद निवासी मौहल्ला छडियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली। (घायल)
2.शौएब पुत्र तौफीक निवासी मौहल्ला छडियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली । (घायल)
3.समीर पुत्र हसन निवासी ग्राम खन्द्रावली थाना कांधला जनपद शामली।
4.जीतू उर्फ सागर पुत्र बलजौर निवासी ग्राम रसूलपुर गुजरान थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तौसीफ उपरोक्तः-

1-मु0अ0सं0-472/2024 धारा 115(2)/118(1)/351(2)/352 बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 188/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 189/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कांधला जनपद शामली।
4.मु0अ0सं0 96/25 धारा 305ए बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शोएब उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 188/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 189/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 96/25 धारा 305ए बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त समीर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 188/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0 189/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0 96/25 धारा 305ए बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जीतू उर्फ सागर उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 188/25 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना कांधला जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 189/25 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कांधला जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 96/25 धारा 305ए बीएनएस थाना कांधला जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 02 तमंचा मय 02 खोखा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

3.पशु कटान के उपकरण (01 कुल्हाडी, 02 दाब, 03 छुरे, रस्सी व लकड़ी का गुटका), ।

4.काली पिन्नी।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-</u>

आज दिनांक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.शहनवाज पुत्र मिजामुदीन निवासी भारतनगर कालोनी थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.एक अदद अवैध तमन्चा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रोला चोरी करने की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 24.04.2025 को थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा ट्रोला चोरी कर लेने के सम्बन्ध में वादी श्री अजय कुमार पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम कैडी थाना बाबरी जनपद शामली द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली ने उपरोक्त चोरी की घटना का अनावरण हेतु थानाध्यक्ष थाना बाबरी को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, स्नैचिंग की घटना में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ट्रोला चोरी करने की घटना में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्तगण अनस व मनव्वर को चोरी किया गया ट्रोला सहित दिनाँक 27.04.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्त खुशीमुदीन उर्फ खुशी पुत्र शौकीन निवासीगण ग्राम सोन्टा रसुलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.जावेद पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम सोन्टा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-</u>

आज दिनांक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.संजीव पुत्र मोहर सिंह निवासी मौहल्ला ठाकुरद्वारा कस्बा ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग, मारपीट करने के मामले में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 01.04.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षो में एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से फायरिंग व मारपीट की घटना हुई थी। घटना का संज्ञान लेकर थाना कैराना पुलिस द्वारा 17 नामजद व कुछ व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मन्ना माजरा में दो पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जान से मारने की नियत से एक राय होकर अवैध हथियार से फायरिंग मारपीट करने के मामले में 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.रिजवान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली।

2.राकिब पुत्र हारुण निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली।

थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नंगली जमालपुर में हुई व्यक्ति की हत्या में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बलकटी बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 26.04.2025 को किसान मनोज पुत्र रणधीर निवासी ग्राम नंगली जमालपुर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली की अभियुक्तगण द्वारा धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी । उक्त सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण, स्थानीय पुलिस व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करते हुये, मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई भूपेन्द्र पुत्र रणधीर निवासी ग्राम नंगली जमालपुर थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली की तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.04.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमण्डी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नंगली जमालपुर में हुई व्यक्ति की हत्या में वांछित अभियुक्तगण 1.उपेन्द्र मुखिया पुत्र सहदेव 2. सुशील उर्फ अजय पुत्र धर्मवीर निवासीगण मौहल्ला सुभाषनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली को शामली-मुजफ्फरनगर हाईवे ग्राम जलालपुर कट के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बलकटी बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमण्डी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमो का गठन किया गया है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

घटना का उद्देश्यः- अभियुक्त उपेन्द्र द्वारा बताया गया कि हम लोग किसान है। दिनाक 26.04.2025 की रात्रि समय करीब 09.00 बजे मैं व सुशील अपने साथी बबलू उर्फ अनिरुद्ध पुत्र स्व0 कुलदीप निवासी मौहल्ला दुर्गापुरी कस्बा बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली व मृतक किसान मनोज के साथ मेरी ट्यूवैल जंगल ग्राम नंगली जमालपुर पर बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच मेरे व मनोज के बीच जमीन खरीदवाने के कमीशन को लेकर कहासुनी हो गयी थी। बात अधिक बढ़ने पर बबलू व सुशील ने मनोज को कसकर पकड लिया और मैंने गुस्से में ट्यूवैल में रखी बलकटी उठाकर मनोज की गर्दन पर मार दिया तथा हम तीनो लोग फरार हो गये। जमीन खरीदवाने के कमीशन को लेकर हुई कहासुनी के कारण हम लोगो द्वारा किसान मनोज की हत्या की गयी है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.उपेन्द्र मुखिया पुत्र सहदेव निवासी मौहल्ला सुभाषनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

2.सुशील उर्फ अजय पुत्र धर्मवीर निवासी मौहल्ला सुभाषनगर कस्बा बनत थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बलकटी।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 04 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 5,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 1998 में अभियुक्त ओमी सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम व थाना ननौता जनपद सहारनपुर के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 187/1998 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 28.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2003 मे अभियुक्त अरशद पुत्र कल्लू निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 122/2003 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम मे आज दिनांक 28.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेड़ी कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2019 मे अभियुक्त अतुल पुत्र सुशील निवासी ग्राम खेड़ी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 1792/2019 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम मे आज दिनांक 28.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को उपरोक्त धारा में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 1,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4.-वर्ष 2023 में अभियुक्त राजीव कुमार गर्ग पुत्र पवन गर्ग निवासी मौहल्ला दयानन्दनगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 138/2023 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 28.04.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ह। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त कारुवास का प्रावधान किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI